... पीपली मठ जरिये वादमित्र व औसरेदार परसराम बनाम लेन्ड होल्डर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-10-25		

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रार्थी प्रकाश चंद भारती के वकील उपस्थित है। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। प्रार्थी प्रकाश चंद भारती के वकील ने फर्द के साथ 6 किता दस्तावेज प्रस्तुत किये है एवं अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादी परसराम भारती ने व अन्य वादीगण ने वादमित्र व औसरेदार के रूप मे यह दावा तहसीलदार वजीरपुर व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का अधिकृत देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा विधि अनुसार नियुक्त पुजारी एवं एन्यूटी धारक है तथा मंदिर श्री पीपलीजी मठ मे स्थापित समस्त मूर्तियों की सेवापूजा निरन्त वगैर किसी बाधा के करता आ रहा है। वादपत्र के वादीगण ने अतिरिक्त कलक्टर, जागीर सवाई माधोपुर के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 6.2.23 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण ने आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर के यहॉ पर अपील प्रस्तुत की वह भी दिनांक 21.8.2023 को खारिज कर दी गई। इन दोनो आदेशों के विरूद्ध वादीगण की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर मे सिविल रिट पिटिशन संख्या 392/2025 उनवानी परसराम भारती वगैरा बनाम अतिरिक्त कलक्टर जागीर सवाई माधोपुर वगैरा प्रस्तुत की। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.8.2025 को इस रिट का निर्णय करते हुए यह निर्देश दिये है कि पिटिशनर्स अपने ग्रिवियेन्सस के सम्बन्ध मे सक्षम प्राधिकारी के यहॉ पर परिवेदना प्रस्तुत करे। इस प्रकार वादीगण ना तो वादग्रस्त मंदिर की भूमि के वादमित्र है ना औसरेदार है तथा प्रार्थी देवस्थान विभाग द्वारा अधिकृत रूप से नियुक्त पुजारी एवं एन्यूटीहोल्डर है। प्रस्तुत मामले मे वादीगण को यह वाद लाने का अधिकार ही नही है क्योकि भूमि की औसरेदारी तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादीगण को औसरेदार या मंदिर का पुजारी नियुक्त नही किया गया है। इसके अतिरिक्त वादीगण के विरूद्ध तहसीलदार वजीरपुर द्वारा धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो कार्यवाही हुई है उसके विरूद्ध भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को नही है। इसलिए वादीगण की ओर से पेश यह वाद प्राथमिक स्तर पर ही चलने योग्य नही है। वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जो प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज फरमाया जावें।

वादीगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि भूमि मंदिर की खातेदारी मे दर्ज है एवं वादमित्र के रूप मे वादीगण मंदिर की भूमि की सुरक्षार्थ यह दावा लेकर आये है। इसलिए कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:12:11 IST
Reason: SelfAttested

भूमि होने के कारण श्रीमानजी के न्यायालय को यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रस्तुत वाद मे इस न्यायालय मे कार्यवाही निरन्तर जारी रखी जावें।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी प्रकाश चंद भारती की ओर से प्रस्तुत दस्तोवजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट संख्या 394/2025 मे दिनांक 19.8.25 को दिये गये निर्णय के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता परसराम भारती, किशन, करण भारती की ओर से एडीशनल कलक्टर जागीर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 6.2.2023 एवं आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर के आदेश दिनांक 21.8.2023 के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित सिविल रिट पिटिशन दायर की गई थी। जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.8.2025 द्वारा निर्णित करते हुए अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का निर्देश याचिकाकर्ताओं को दिया गया है। प्रस्तुत मामले मे सक्षम प्राधिकारी यह न्यायालय नही है। ऐसी स्थिति मे वादीगण की ओर से प्रस्तुत यह वाद प्राथमिक स्तर पर चलने योग्य नही है। अतः वाद वादीगण वर्तमान स्टेज पर खारिज किया जाता है। इसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 36/2025 उनवानी पीपली मठ बनाम लैण्ड होल्डर वगैरा भी खारिज की जाती है एवं इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे दिनांक 28.8.2025 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Sumit

उप जिला कलेक्टर
बजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:12:11 IST
Reason: SelfAttested